

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/97

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED NO. D.L.—33002/97

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

No. 212]

दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 1997/कार्तिक 26, 1919
DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 1997/KARTIKA 26, 1919[पी.आर.डी. सं. 320
[P.R.D. No. 320भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (लेखा) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 नवम्बर, 1997

फा. सं. 6/5/78-वित्त (लेखा)/खण्ड 2 :—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, इस सरकार की दिनांक 21 नवम्बर 1994 की अधिसूचना द्वारा जारी एवं अधिसूचना सं. फा. 6/5/78-वित्त (लेखा)/खण्ड-1 दिनांक 14-7-95 द्वारा पुनः संशोधित उपराज्यपाल/मुख्यमंत्री राहत कोष (आय एवं व्यय के विनियमन) नियमावली, 1994 में सहर्ष निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

- दिनांक 21 नवम्बर 1994 की अधिसूचना में—वर्तमान पैरा 3, के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित करें :—
“उपराज्यपाल/मुख्यमंत्री सहायता कोष, दिल्ली के लिये सभी अंशदान वित्त सचिव द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। वित्त सचिव, कोष के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी कोष में दान देने वाले सभी व्यक्तियों को औपचारिक छपी हुई रसीद जारी करेंगे।”
- पैरा 4 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—
“समकक्ष अधिकारी अर्थात् मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल महोदय की स्वीकृति का अनुमोदन लेने के बाद, अबर सचिव वित्त (लेखा) आर्थिक सहायता के सभी चैकों पर हस्ताक्षर करेंगे।”
- पैरा 5 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—
“जिस प्रार्थी को प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्गों के अंतर्गत नहीं आता है उसे उप सचिव (लेखा) के स्तर पर या तो अस्वीकृत कर दिया जायेगा, या स्थिति के अनुसार दिल्ली कल्याण समिति/दिल्ली आरोग्य निधि के पास भेज दिया जायेगा।”

आदेशानुसार

विरेन्द्र सिंह, सचिव (वित्त)

**FINANCE (ACCOUNTS) DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 17th November, 1997

No. F. 6(5)/78-Fin(A/Cs)/Vol. II :—The Lieutenant Governor, Delhi is pleased to make the following amendments in the Lieutenant Governor/Chief Minister Relief Fund (Regulation of Income and Expenditure) Rules, 1994 issued vide this Government's Notification No. F. 6(5)/78-Fin(A/Cs)/Vol-II dated 21st November, 1994 and further amendments issued vide notification No. F. 6(5)/78-Fin(A/Cs)/Vol-I dated 14th July, 1995, namely :—

AMENDMENT

1. In the said notification dated 21-11-94, the existing para 3 is substituted by the following :—

“All contributions to the LG/CM Relief Fund will be received by the Finance Secretary, who will act as a Secretary of the Fund, and on whose behalf the authorised officer shall issue formal printed receipts to all the donors to the Fund.”

2. At the end of para 4, the following shall be added :—

“After obtaining the approval/sanction of the competent authority i.e. Chief Minister or Lt. Governor, the Under Secretary, Finance (A/Cs) will sign the cheques for financial assistance.

3. At the end of para 5, the following shall be added :—

“The request of the applicant not covered under above categories will be rejected or forwarded to Delhi Kalyan Samiti/Delhi Arogya Nidhi, as the case may be, at the level of Deputy Secretary, Finance (A/Cs).”

By Order
VIRENDRA SINGH, Secy. (Finance)

कार्यालय : उपायुक्त पुलिस : यातायात

आदेश

दिल्ली, 17 नवम्बर, 1997

सं. 222/58029-128/प्रशासनिक शाखा (डी-३).—क्योंकि दिल्ली में सड़क पर टैक्सियों को रोकने तथा उनको खड़ा करने के लिए नियमों का उचित रूप से पालन करने की आवश्यकता है तथा बहुत से स्थानों पर टैक्सियों का सामान्य जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मिनार आई. पी. स्टेट, नई दिल्ली ने उनके पत्र सं. फा. 12(14)96-एम. पी./939 दिनांक 12-९-९७ द्वारा फैसिलिटी सेन्टर नं. 26, गांव डल्लुपुरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के सामने, कोन्डली, दिल्ली पर निःशुल्क टैक्सी पार्किंग के लिए जमीन का प्रयोग करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया है।

अब मैं, कमर अहमद, उपायुक्त पुलिस, यातायात, दिल्ली, दिल्ली में सड़कों तथा गलियों पर वाहन एवं अन्य यातायात नियंत्रण नियमन, 1980 की धारा (3) का प्रयोग करते हुए जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है एतद्वारा आदेश देता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित निःशुल्क टैक्सी पार्किंग साइट फैसिलिटी सेन्टर नं. 26, गांव डल्लुपुरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के सामने, कोन्डली, दिल्ली पर 5(पाँच) डी. एल. टी. टैक्सियों को खड़ा करने के लिए अस्थाई अनुमति प्रदान करता हूँ।

शर्त यह होगी कि उपायुक्त पुलिस, यातायात, दिल्ली की जनता के पक्ष, यातायात में रुकावट, सुरक्षा दृष्टि से, स्थानीय शिकायतें, गन्तव्य स्थान पर जाने से मना करने, दुर्व्यवहार करने, ज्यादा पैसे मांगने पर या लैण्ड ओनिंग एजेंसी द्वारा कोई आपत्ति करने आदि पर बिना किसी सूचना के अधिसूचना रद्द करने का अधिकार होगा तथा निःशुल्क टैक्सी पार्किंग साइट पर किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा नहीं किया जायेगा और वहाँ अधिकृत टैक्सियों के अलावा या निजी वाहन खड़ा नहीं होगा। वहाँ पर कोई निजी टेलिफोन नहीं लगने दिया जायेगा। उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर उपरोक्त निःशुल्क टैक्सी पार्किंग रद्द कर दिया जायेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी व्यक्ति विशेष को उसके नाम पर तहबाजारी नहीं करेगी।

यह आदेश तत्काल लागू होगा।

सामान्य जनता को सूचित करने के लिए यह आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उपायुक्त पुलिस, यातायात एवं समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व दिल्ली/नई दिल्ली के समस्त थानों में सूचना पट्टों पर इसकी प्रतिलिपि लगाई जायेगी।

मेरे द्वारा कार्यालय की मुहर के साथ नवम्बर माह के सत्रहवें दिवस 1997 में जारी किया गया।

कमर अहमद, उपायुक्त पुलिस, यातायात

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE : TRAFFIC
ORDER**

Delhi, the 17th November, 1997

No. 222/58029-128/Adminn. Br.(D-III).—Whereas the halting and parking of taxis on roads of Delhi needs to be properly regulated and whereas taxis are required to be parked at convenient places for being available to the general public in various areas. Whereas Delhi Development Authority, Vikas Minar, Delhi vide their letter No. F. 12(14)/96-MP/939 dated 12 Sep. 1997, has issued 'No Objection Certificate' for land for a free taxi parking site in the Facility Centre No. 26, in village Dallupura, Opp. Sewage Treatment Plant at Kondli, Delhi.

Now, therefore, I, Qamar Ahmed, Deputy Commissioner of Police, Traffic, Delhi, in exercise of powers conferred upon me u/s 3 of the Delhi Control of Vehicular and other Traffic on Roads and Streets Regulations-1980, do, hereby authorise parking of five (5) DLT taxis only on the site earmarked by DDA in the Facility Centre No. 26, in Village Dallupura, Opp. Sewage Treatment Plant at Kondli, Delhi.

The Deputy Commissioner of Police, Traffic, Delhi, reserves the right to cancel this order for regulating the parking of taxis subsequently in public interest for reasons of traffic regulations, requirements of security, local complaints, misbehaviour or any subsequent objection raised by the land owning agency etc. without any notice. No permanent or temporary structure shall be erected at the free taxi parking site by any person or group of persons. No taxi(s) or private vehicles other than authorised shall be parked. In case of violation of this instruction, the free taxi parking site is liable to be de-notified. The MCD/NDMC/DDA should not issue Teh-Bazari on the site to any individual.

This order shall come into force with immediate effect.

This order shall be published for information of the general Public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the offices of the DCP/Traffic, all District DCSP and Police Stations in Delhi/New Delhi.

Given under my hand and seal of Office on the 17th day of November, 1997.

QAMAR AHMED, Dy. Commissioner of Police, Traffic